

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1- निदेशक,
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान,
कल्याणपुर, कानपुर।
- 2- कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।
- 3- कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज (फैजाबाद)।
- 4- कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मोदीपुरम (मिर्ठ)।
- 5- कुलपति,
डीम्ड विश्वविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद।

पत्रांक-एस0एफ0/480/जैव परिवर्तित बीज/2010-11/दिनांक 19/4/2011
विषय-जैव परिवर्तित बीजों के उत्तर प्रदेश में प्रयोग एवं प्रदर्शन पर रोक के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ० राकेश टिकैत ने अपने पत्र दिनांक 05-04-2011 जो माननीया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित है, द्वारा अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश में जैव परिवर्तित बीजों के प्रयोग एवं प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए तथा भारत सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्तावित बीज कानून पर राज्य सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाए।

अतः उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन प्रक्षेत्रों पर जैव परिवर्तित बीजों से सम्बन्धित शोध/बीज सम्बन्धन कार्यक्रम कराने से पूर्व शासन से अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

भवदीय,

(डॉ० मुकेश गोतम)
कृषि निदेशक उ०प्र०।

San D. M. Singh
के०

पत्रांक-एस0एफ0/480/जैव परिवर्तित बीज/2010-11/दिनांक उक्त-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- चौ० राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन, किसान भवन, कसबा- सिसौली, जनपद-मुजफ्फरनगर, (उ०प्र०) को उनके पत्र दिनांक 05-04-2011 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रमुख सचिव (कृषि), कृषि अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय लखनऊ।

(डॉ० मुकेश गोतम)
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।